

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

का

संगम-ज्ञापन

कंपनी का नाम	I	कंपनी का नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।
पंजीकृत कार्यालय	II	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित होगा।
उद्देश्य	III	कंपनी की स्थापना के उद्देश्य हैं:

क. कंपनी की स्थापना के उद्देश्य

1. नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी रूप की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों या निर्माण, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, संवर्धन आदि का वित्तपोषण करना।
2. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं जैसे लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण आदि की परियोजनाओं का हिस्सा हैं, के निर्माण, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, संवर्धन आदि के विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना।
3. सह-उत्पादन/त्रि-उत्पादन/कम्बाइन्ड हीट एवं पावर, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, ई-वाहन (वाहनों) और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सहित ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और विद्युत के पर्यावरणीय पहलुओं संबंधी परियोजनाओं, गतिविधियों, योजनाओं का वित्तपोषण करना।
4. नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित विद्युत क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरण (उपकरणों) के निर्माण के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण।
5. खंड ए1 में शामिल विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज वाली परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों इसमें विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए कोयला और अन्य खनन गतिविधियों (ओं) के विकास सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, रेलवे लाइन (ओं), सड़क (ओं), पुल (ओं), बंदरगाह (ओं), जेटी (ओं) और बंदरगाह (ओं), गैस पाइपलाइन (ओं), गैस टर्मिनल (ओं) और ऐसे अन्य समर्थकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए सुविधा(ओं) जो खंड ए1 में शामिल एक विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती है, का वित्तपोषण करना।

6. किसी भी परियोजना, गतिविधि, या खंड ए1 से ए4 में शामिल कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण करना और खंड ए1 से ए5 तक किसी भी कंपनी के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, प्रशिक्षण आदि सहित किसी भी गतिविधि को पूरा करना।

ख. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मामले:

1. कंपनी के उद्देश्य के लिए अनुदान एवं अन्यथा के रूप में समय-समय पर प्राप्त धन का उपयोग करना।
2. इस या किसी अन्य कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय और बेमियादी या अन्यथा विशेषतः डिबेंचरों, बॉण्ड या डिबेंचर स्टॉक के इश्यू द्वारा तथा उस रीति में जैसा कंपनी उचित समझे ऋण लेना या धन अर्जित करना या जमा राशि या ब्याज पर ऋण या अन्यथा पर धन प्राप्त करना तथा ऐसे ऋण, अर्जित या प्राप्त धन राशि की चुकौती को प्रतिभूत करना या कंपनी (वर्तमान एवं भावी दोनों) की अनपेक्षित पूंजी सहित किसी अन्य संपत्ति, परिसंपत्तियों या राजस्व या उस पर मोर्टगेज, प्लेज, चार्ज या लीयन द्वारा स्वामित्व लेना तथा ऋणदाताओं या क्रेडिटर्स को बिक्री की शक्ति या अन्य शक्तियां प्रदान करना जो लाभकारी लगे तथा ऐसी किसी प्रतिभूतियों की खरीद, रीडिम या भुगतान करना तथा साथ ही समान मोर्टगेज, चार्ज या लीयन द्वारा प्रतिभूति करना और कंपनी द्वारा वचनबद्ध किसी दायित्व की कंपनी द्वारा कार्य-निष्पादन की गारंटी देना या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसके संबंध में कमीशन, फीस, ब्रोकरेज का भुगतान करना।
3. कंपनी के उद्देश्य के लिए भारत या विदेश में किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार/प्राधिकरण से विदेशी मुद्रा ऋण लेना या वाणिज्यिक ऋण सहित विदेशी लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करना।
4. सभी क्षेत्रों में विद्युत की संतुलित वृद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष मानदंड सहित विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण का उपयुक्त मानदंड बनाना तथा विद्युत विकास एवं आपूर्ति को अनुकूल बनाना।
5. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं की भौतिक अपेक्षाओं से जुड़े वित्तीय संसाधनों को निर्दिष्ट करना तथा उपलब्धता, विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के संबंध में संतोषजनक विद्युत आपूर्ति हासिल करना।
6. राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार एकीकृत एवं दक्ष विद्युत प्रणाली हासिल करने तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में क्रिटिकल बोटलनेक हटाने संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना।

7. तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के विशेष संदर्भ में वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करना, समय-समय पर अनुमोदित मानदंडों के संबंध में उचित कार्यान्वयन और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए प्रबंधकीय दक्षता की उपलब्धता और इस तरह से नियंत्रण करना और इस तरह की शर्तें निर्धारित करना जिसे ठोस परियोजना निर्माण, प्रबंधन और उपयुक्त तकनीकी एवं वित्तीय मानकों को हासिल करने के लिए आवश्यक माना जाए।
8. परियोजनाओं के आर्थिक और वित्तीय औचित्य के लिए और निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और अधिक अनुशासन एवं दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्युत संयंत्रों और प्रणालियों के संचालन के लिए उपयुक्त अवधारणाओं और मानदंडों को विकसित करना।
9. वित्तपोषित परियोजनाओं को शीघ्र, प्रभावी और समय पर पूरा करने के लिए विद्युत विकास कार्यक्रमों में शामिल एजेंसियों के साथ निकट समन्वय सुनिश्चित करना।
10. विद्युत परियोजनाओं के संबंध में संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी एवं तकनीकी जांच सहित अन्य मामलों के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना।
11. अंतरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं या क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं के संबंध में किसी भी ऋण के अनुमोदन के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, सहभागी राज्यों के बीच शक्तियों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक करार का निष्पादन सुनिश्चित करना।
12. विशेष रूप से परियोजनाओं की पहचान, योजनाओं का निर्धारण, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक, प्रबंधकीय मानकों और मानदंडों से संबंधित मामलों सहित कंपनी के व्यवसाय या मामलों के संचालन से संबंधित मामलों पर वित्तपोषण के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर कंपनी को दिए जाने वाले ऐसे निर्देश या निर्देशों पर कार्य करना।
13. कार्यो का निर्माण, निष्पादन, संचालन, सुधार कार्य, विकास, प्रशासन, प्रबंधन या नियंत्रण करना जो इस जापन की अभिव्यक्ति में इलेक्ट्रिक, प्रकाश, विद्युत, टेलीफोनिक, टेलीग्राफिक और विद्युत आपूर्ति कार्य और अन्य सभी कार्यो या सुविधाओं, जो भी हो, को शामिल करता है।
14. कंपनी या उसके किसी भाग के व्यवसाय के अधिक कुशल संचालन के लिए कोई संविदा या व्यवस्था करना और समय-समय पर किसी भी संविदा को सबलेट करना।

15. मूल्यहास के लिए, या कंपनी की किसी भी संपत्ति की मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए या कंपनी के हित में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी मूल्यहास कोष, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, बीमा कोष, विकास कोष, या कोई अन्य विशेष फंड सृजित करना।
16. अध्ययन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अन्वेषण और आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोगों और सभी प्रकार के परीक्षण करने हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों के लिए प्रायोगिक कार्यशालाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन करना, जो कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन कर, सब्सिडी देकर या सहायता करके और आम तौर पर किसी भी प्रकार के अध्ययन, जांच, प्रयोग, परीक्षण और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा जिन्हें कंपनी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यवसाय की सहायता करने हेतु उचित माना जा सकता है।
17. कंपनी के कर्मिकों या पूर्व-कर्मिकों और पत्नियों, विधवाओं और परिवारों या ऐसे व्यक्तियों के संपर्क के आश्रितों के कल्याण के लिए घरों, आवासों या चॉलों के निर्माण या निर्माण में योगदान द्वारा, या धन के अनुदान, पेंशन और भत्ते, बोनस या अन्य भुगतान द्वारा, सृजन करके या समय-समय पर भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थानों, निधियों या ट्रस्ट की सदस्यता या योगदान करके और स्थानों या निर्देश और मनोरंजन, अस्पतालों एवं औषधालयों, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सहायता प्रदान करने या योगदान करने के लिए, जैसा कि कंपनी उचित समझ सकती है और धर्मार्थ, परोपकारी, धार्मिक वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक या अन्य संस्थान या वस्तु या उद्देश्य को धन की सहायता या गारंटी देने के लिए सदस्यता लेना या अन्यथा प्रदान करना।
18. अप्रतिभूत या प्रतिभूत धन के भुगतान की गारंटी देना, गारंटी देना या किसी संविदा या दायित्वों के कार्य-निष्पादन के लिए स्यूरिटी बनना।
19. भारत सरकार, या भारत में किसी भी स्थानीय या राज्य सरकार के साथ या किसी भी स्थानीय या अन्यथा विदेशी संस्थानों, संघों और एजेंसियों या अन्य व्यक्तियों के साथ किसी भी व्यवस्था या समझौते में प्रवेश करने के लिए जो कंपनी के उद्देश्यों या किसी भी के लिए अनुकूल प्रतीत हो सकता है उन्हें और उनसे कोई भी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, लाइसेंस, अनुदान, रियायतें और सहायता प्राप्त करने के लिए, जिसे कंपनी ऐसी किसी भी व्यवस्था, समझौतों, अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों को प्राप्त करना या निष्पादित करना, प्रयोग करना और उनका पालन करना वांछनीय समझ सकती है।

20. किसी भी प्रतिभूतियों, शेयरों, निवेशों, संपत्तियों, चल और अचल में कंपनी के धन का निवेश और सौदा करना, और इस तरह से करना जैसा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और उक्त की बिक्री, स्थानांतरण या सौदा करना।
21. अचल संपत्ति के मोर्टगेज रखने पर या चल संपत्ति की हाइपोथीकेशन या प्लेज पर या ऐसे व्यक्तियों को बिना प्रतिभूति और ऐसी शर्तों पर जो समीचीन प्रतीत हो और विशेष रूप से कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले व्यक्तियों को ऋण देना।
22. चेक, वचन-पत्र, लेडिंग बिल, डिबेंचर और अन्य नेगोशिएबल या हस्तांतरणीय लिखतों को बनाना, आहरित करना, स्वीकार करना, समर्थन करना, निष्पादित करना और जारी करना।
23. कंपनी द्वारा अधिग्रहित किसी भी संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार के लिए या तो कंपनी के शेयरों में या आंशिक रूप से शेयरों में और आंशिक रूप से नगदी में भुगतान करना।
24. किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी या किसी बैंक या बैंकर या श्राफ के साथ खाते खोलना और ऐसे खातों में भुगतान करना और धन निकालना।
25. प्रतिफल के साथ या उसके बिना अधिग्रहण या टेकओवर करना और एजेंटों के व्यवसाय को स्वयं या दूसरों या कंपनियों या साझेदारी या संबंधितों के साथ साझेदारी में करना, जिनके उद्देश्य आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कंपनी के समान हो सकते हैं।
26. किसी भी व्यवसाय को चलाने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के व्यवसाय, संपत्ति और देयताओं के पूर्ण या किसी भाग का अधिग्रहण और उपक्रमण करना, जिसे कंपनी चलाने के लिए अधिकृत है, या इस कंपनी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त संपत्ति का पोजेशन है तथा अधिग्रहण करना या उसमें शेयर धारण करना।
27. एपरेटस या उपकरणों के सभी और प्रत्येक विवरण सहित कंपनी की सभी या किसी भी संपत्ति को किराए पर देना चाहे वह चल या अचल हो।
28. लाभ, समामेलन, हितों के संघ, सहयोग, संयुक्त उद्यम या पारस्परिक रियायत या अन्यथा के लिए पार्टनरशिप में या किसी भी व्यवस्था में शामिल होना या किसी भी व्यक्ति या कंपनी के साथ समामेलन करना जो किसी भी व्यवसाय या लेन-देन को करने या उससे संबद्ध हो या करने जा रही है या संबद्ध होने जा रही है जिसे यह कंपनी किसी भी व्यवसाय, वचनबद्धता या लेनदेन को करने या संबद्ध होने के लिए अधिकृत है, जो इस कंपनी को

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के लिए किए जाने या संचालित करने में सक्षम हो सकता है।

29. कंपनी के किसी कार्मिक या किसी उम्मीदवार को भारत या विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित करना और भुगतान करना या कंपनी के उद्देश्यों के हित में या आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती करना और उन्हें नियुक्त करना।
30. कंपनी के किसी उपक्रम या उसके किसी भी भाग की बिक्री करना, किराए पर देना, विनिमय करना या अन्यथा सौदा करना, जैसा कि कंपनी उचित समझ सकती है, और विशेष रूप से किसी भी अन्य कंपनी के शेयरों, डिबेंचर या प्रतिभूतियों के संबंध में इस कंपनी के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समान उद्देश्य हों।
31. कंपनी की संपत्ति और अधिकारों के सभी या किसी भाग की बिक्री करना, सुधार करना, प्रबंधित करना, विकसित करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना, मोर्टगेज करना, फ्रेंचर्डज करना, निपटाना, खाते में बदलना या अन्यथा सौदा करना।
32. कंपनी की सभी या किसी भी संपत्ति, अधिकारों और देयताओं के अधिग्रहण के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी संस्था या कंपनी के गठन को बढ़ावा देना और निगमन करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कंपनी को लाभ पहुंचाने या किसी सहायक कंपनी या कंपनियों के गठन में सहायक हो सकती है।
33. राज्य या केंद्र सरकार, बैंकों, कंपनियों, ट्रस्टों, संस्थानों, संघों, व्यक्तियों से ब्याज के साथ या उसके बिना अनुदान ऋण, अग्रिम या जमा पर अन्य धन या अन्यथा प्राप्त करना।
34. भारत या विश्व के किसी अन्य हिस्से में अधिकार, प्राधिकरण सुरक्षा, वित्तीय और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु आदेश या विधानमंडल अधिनियम या प्राधिकरण अधिनियम की प्राप्ति, आवेदन करना, जारी करने की व्यवस्था करना या अधिनियमन करना। कंपनी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने या बढ़ाने के लिए आवश्यक या समीचीन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो समीचीन लग सकता है और किसी भी कार्यवाही या आवेदन या किसी अन्य प्रयास, कदम या उपायों का विरोध करने करना, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के हित में पूर्वाग्रह के लिए सहायक हो सकती है।
35. किसी भी सरकार, प्राधिकरण, निगम या निकाय या किसी कंपनी या व्यक्तियों के निकाय द्वारा और उसके संबंध में कोई विकल्प या अधिकार

द्वारा जारी किए गए शेयरों, स्टॉक, प्रतिभूतियों और ऋणग्रस्तता के साक्ष्य या लाभ या अन्य समान दस्तावेजों में भाग लेने के अधिकार के लिए सदस्यता लेना, अंडरराइट करना, क्रय करना या अन्यथा अधिग्रहण करना और धारण करना, निपटान करना और सौदा करना।

36. कंपनी की किसी भी बैठक में प्रयोग करने योग्य सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के एक एजेंट के रूप में कार्य करना, जो योजना, जांच, अनुसंधान, डिजाइन और प्रारंभिक व्यवहार्यता/और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, पावर स्टेशनों और परियोजनाओं के निर्माण, उत्पादन, संचालन और रखरखाव, पारेषण, वितरण और विद्युत की बिक्री से संबद्ध हैं और सरकार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में हैं, ताकि ऐसी कंपनियों में वित्तीय निवेश और ऋण का अधिक प्रभावी उपयोग प्रतिभूत हो सके और संबंधित उद्योगों का कुशल विकास हो सके।
37. आम तौर पर ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या अनुकूल समझे जा सकते हैं।
38. विद्युत की आपूर्ति का व्यवसाय करना और ऐसे व्यवसाय से संबंधित सभी कार्य करना, जैसे खरीद या अन्यथा, किसी भी सरकार, राज्य या प्राधिकरण से कोई भी लाइसेंस, रियायतें, अनुदान, डिक्री, अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त करना, जो भी कंपनी खाते में लक्षित है उससे जुड़ा कार्य करना, विकसित करना, निष्पादित करना, लागू करना और उक्त का लेखा देना।
39. विद्युत के उत्पादन, संचय, वितरण, आपूर्ति और रोजगार के संबंध में टेलीग्राफ, टेलीफोन, फोनोग्राफ, रेडियो ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग स्टेशन या सेट, डायनेमो, एक्यूमुलेटर, तथा अन्य उपकरणों के साथ दूरी पर उपकरण को जोड़ने के लिए सभी केबल, तार, या उपकरण, और एक्सचेंजों या केंद्रों के गठन सहित सभी उपकरणों का उपयोग करने या निर्माण करने का अधिकार प्राप्त करना।
40. विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित ग्रामीण आबादी के सामाजिक और आर्थिक कल्याण, या उत्थान को बढ़ावा देने के लिए विद्युत आपूर्ति के विकास के लिए किसी भी कार्यक्रम को शुरू करना, आयोजित करना, बढ़ावा देना और प्रायोजित करना और उसके संबंध में कोई भी व्यय करना तथा सीधे या किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उसके निष्पादन और प्रचार में सहायता करना।

41. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रचार और विकास के लिए और जनता या जनता के किसी भी वर्ग के लिए कंपनी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना और साथ ही जनता या जनता के किसी भी वर्ग के राष्ट्रीय कल्याण या सामाजिक, आर्थिक या नैतिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए किसी भी गतिविधि को आयोजित करना, चलाना, बढ़ावा देना और प्रायोजित करना या सहायता करना।

और एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि:

(क) जब इस खंड में 'भारत' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें भारत संघ में समय-समय पर शामिल सभी क्षेत्र शामिल होंगे,

(ख) खंड के उप-खंडों में निर्दिष्ट उद्देश्यों को स्वतंत्र उद्देश्यों के रूप में माना जाएगा, और इसका अन्य उप-खंडों से स्वतंत्र रूप से अर्थ लगाया जाएगा और किसी भी उप-खंड में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य को किसी अन्य उप-खंड में उद्देश्यों का मात्र सहायक नहीं माना जाएगा (जहां ऐसे उप-खंड में अन्यथा व्यक्त किया गया है, को छोड़कर)।

सदस्यों का दायित्व

IV

सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

***शेयर पूंजी**

V

कंपनी की शेयर पूंजी 20,00,00,00,000 रुपये (दो हजार करोड़ रुपये) है जो 10/- (दस रुपये) प्रत्येक के 2,00,00,00,000 (दो सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित होता है।

19 अगस्त, 2016 को आयोजित शेयरधारकों की 30वीं वार्षिक आम बैठक में पारित साधारण संकल्प के अंतर्गत यथा संशोधित खंड V "शेयर पूंजी" :-

शेयर पूंजी

V

कंपनी की शेयर पूंजी 10/- (दस रुपये) प्रत्येक के 100,00,00,00,000 (दस हजार करोड़ रुपये) इक्विटी शेयर है।

एमसीए के दिनांक 07.02.2019 के आदेश सं. 24/6/2018-सीएल-III के अंतर्गत पीएफसी के संगम-जापन के खंड V में संशोधन किया गया:-

शेयर पूंजी

V

कंपनी की शेयर पूंजी 112,000,000,000 (ग्यारह हजार दो सौ करोड़ रुपये) है जिसे 10/- (दस रुपये) प्रत्येक के 11,000,000,000 (एक हजार एक सौ करोड़) इक्विटी शेयरों और 10/- (दस रुपये) प्रत्येक के 200,000,000 (बीस करोड़) के प्रेफ्रेंस शेयर में विभाजित किया जाता है।

*26 सितंबर, 2002 को आयोजित शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा संशोधित।